ISSN: 2584-0231(Online)
International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology
Volume 4 | Issue 3 | March 2026
Available online at: https://ijmrast.com
DOI: https://doi.org/10.61778/ijmrast.v4i3.253

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता का अध्ययन

प्रभात कुमार रवि

शिक्षाशास्त्र विभाग (एम.एड.), माँ विंध्यवासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन पदमा, हज़ारीबाग

Email: Prabhatkr71@gmail.com

सार

भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) ने 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य इस अधिनियम के क्रियान्वयन के पश्चात् भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वास्तविक उपलब्धता का विश्लेषण करना है। शोध में यूडीआईएसई+ 2023-24, यूडीआईएसई+ 2024-25 तथा वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2024 जैसे प्रमाणित राष्ट्रीय आँकड़ों का उपयोग किया गया है। परिणामों से स्पष्ट होता है कि नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किंतु अधिगम परिणाम अभी भी चिंताजनक हैं। प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर घटकर 2.3% हो गई है, परंतु माध्यमिक स्तर पर यह 8.2% बनी हुई है। कक्षा तीन के केवल 23.4% बच्चे कक्षा दो स्तर का पाठ पढ़ पाते हैं और कक्षा तीन के 33.7% बच्चे घटाव कर पाते हैं। विद्यालय अवसंरचना में सुधार हुआ है, परंतु डिजिटल सुविधाएँ अभी भी अपूर्ण हैं। यह अध्ययन निष्कर्ष देता है कि आरटीई अधिनियम ने शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में सफलता पाई है, लेकिन गुणवत्ता सुनिश्चित करना अभी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

मुख्य शब्द: *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अधिगम परिणाम, सकल नामांकन अनुपात, ड्रॉपआउट दर।*

1. परिचय

भारत का संविधान (86 संशोधन, 2002) अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है। इसी संवैधानिक आदेश के अनुपालन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 से पूरे देश में प्रभावी हुआ। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के सरकारी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त, निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान भी इस अधिनियम की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है (जुनेजा, 2015)। आरटीई अधिनियम के लागू होने के बाद से देश में विद्यालय नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूडीआईएसई+ 2024-25 के अनुसार भारत में कुल 14.72 लाख विद्यालयों में 23 करोड़ से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं तथा शिक्षकों की संख्या पहली बार एक करोड़ का आँकड़ा पार करके 1.01 करोड़ हो गई है, जो 2022-23 की तुलना में 6.7% की वृद्धि है (शिक्षा मंत्रालय, 2025)। विद्यालय अवसंरचना में भी उल्लेखनीय सुधार दिखाई देता है, जहाँ 93.6% विद्यालयों में विद्युत, 99.3% में पेयजल और 63.5% में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

परंतु केवल नामांकन की वृद्धि को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पर्याय नहीं माना जा सकता। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2024 दर्शाती है कि ग्रामीण भारत में कक्षा पाँच के मात्र 48.8% बच्चे कक्षा दो स्तर का पाठ पढ़ पाते हैं और केवल 30.7% बच्चे ही भाग के सवाल हल कर पाते हैं (एएसईआर केंद्र, 2024)। यह आँकड़ा इस तथ्य को उजागर करता है कि शिक्षा तक पहुँच और

शिक्षा की गुणवत्ता दो बिल्कुल अलग आयाम हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में विद्यालय अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र-शिक्षक अनुपात, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ शामिल हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, सरकारी और निजी विद्यालयों, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्गों के बीच शैक्षिक परिणामों में व्यापक असमानता देखी जाती है। माध्यमिक स्तर पर 8.2% की ड्रॉपआउट दर यह दर्शाती है कि बच्चे विद्यालय में टिके रहने में अनेक बाधाओं का सामना कर रहे हैं (शिक्षा मंत्रालय, 2025)। देश में आरटीई अधिनियम को लागू हुए डेढ़ दशक से अधिक का समय बीत चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी प्रारंभिक शिक्षा में आधारभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। इस परिप्रेक्ष्य में आरटीई अधिनियम की उपलब्धियों एवं सीमाओं का वस्तुपरक मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र नवीनतम राष्ट्रीय आँकड़ों के आधार पर यह जाँचने का प्रयास करता है कि क्या इस अधिनियम के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता वास्तव में सुनिश्चित हो पाई है।

2. साहित्य समीक्षा

आरटीई अधिनियम 2009 और भारत में शिक्षा की गुणवत्ता पर अनेक महत्त्वपूर्ण शोध कार्य किए गए हैं। शाह एवं स्टाइनबर्ग (2019) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, डीआईएसई तथा एएसईआर के तीन राष्ट्रीय डेटासेट का विश्लेषण करते हुए पाया कि आरटीई के पश्चात् नामांकन में वृद्धि तो हुई, किंतु 2010 के बाद परीक्षा परिणाम तेजी से गिरे। उन्होंने यह भी पाया कि विद्यालय में श्रेणी दोहराने की घटनाएँ अधिनियम के "अनुत्तीर्ण नहीं करने" के प्रावधान के अनुरूप तेजी से घटीं। झा एवं पार्वती (2010) ने आरटीई अधिनियम की महत्त्वपूर्ण कमियाँ उजागर कीं जिनमें शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, बुनियादी ढाँचे की अपर्याप्तता और सीखने के परिणामों पर ध्यान न देना प्रमुख थे। किंग्डन (2007) ने भारत में विद्यालयी शिक्षा की प्रगति का अध्ययन करते हुए सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

कुमार एवं अन्य (2019) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 64वें और 71वें दौर के आँकड़ों के आधार पर यह दिखाया कि आरटीई के बाद लिंग, ग्रामीण-शहरी क्षेत्र और सामाजिक-धार्मिक समूहों के आधार पर शिक्षा में बहिष्करण और गहरा हुआ है। मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के निचले पाँचवें भाग के बच्चे आरटीई-पश्चात् काल में भी शिक्षा के अधिकांश मानकों पर पिछड़ते रहे। द्रेज़ एवं किंग्डन (2001) ने ग्रामीण भारत में विद्यालय भागीदारी का अध्ययन करते हुए पाया कि माँ की शिक्षा, भूमि स्वामित्व और जाति जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक विद्यालय में उपस्थिति को गहरे प्रभावित करते हैं। राव (2019) ने दिल्ली के विद्यालयों में प्राकृतिक प्रयोग के माध्यम से दिखाया कि गरीब बच्चों के साथ रहने से धनी बच्चों में भेदभाव कम होता है, यद्यपि शैक्षणिक उपलब्धि पर इसका प्रभाव सीमित रहता है।

विश्वजीत एवं शर्मा (2023) ने ग्रामीण भारत में आरटीई के क्षेत्रीय प्रभाव का विश्लेषण करते हुए पाया कि अधिनियम ने लड़कियों के नामांकन में वृद्धि और जाति-आधारित भेदभाव को कम करने में आंशिक सफलता पाई है, किंतु बुनियादी ढाँचे की कमी और सामाजिक पूर्वाग्रह अभी भी बड़ी बाधाएँ हैं। इस्लाम (2022) ने अधिनियम की पहली दशाब्दी की समीक्षा में पाया कि 2012 से 2021 के बीच राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षणों में लगातार गिरावट दर्ज हुई और डिजिटल सुविधाएँ अपर्याप्त बनी रहीं। मुरलीधरन एवं सुंदरराजन (2015) ने भारत में विद्यालय चयन के प्रभाव का अध्ययन करते हुए पाया कि निजी विद्यालयों में अध्यापन गुणवत्ता सरकारी विद्यालयों की तुलना में बेहतर है। अग्रवाल (2025) ने आरटीई की धारा 12(1)(ग) के जाति-आधारित नामांकन पर प्रभाव का विश्लेषण करते हुए पाया कि इसने वंचित वर्गों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने में सकारात्मक भूमिका निभाई। वाधवा (2025) ने एएसईआर 2024 के विश्लेषण में पाया कि सरकारी विद्यालयों में गणितीय कौशल में असाधारण सुधार हुआ है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के "निपुण भारत" कार्यक्रम का परिणाम माना जा सकता है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

3. उद्देश्य

1. आरटीई अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के पश्चात् भारत में विद्यालय नामांकन, ड्रॉपआउट दर, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात तथा विद्यालय अवसंरचना की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
2. सरकारी विद्यालयों में पठन एवं गणितीय अधिगम परिणामों की स्थिति का मूल्यांकन करना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता में आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करना।

4. परिकल्पना

1. आरटीई अधिनियम 2009 के लागू होने के पश्चात् भारत में विद्यालय नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, परंतु अधिगम परिणामों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।
2. ग्रामीण एवं सरकारी विद्यालयों में अवसंरचना तथा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात में सुधार के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता शहरी एवं निजी विद्यालयों की तुलना में अभी भी कम है।

5. शोध पद्धति

यह एक वर्णनात्मक-तुलनात्मक शोध है जिसमें द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। शोध अभिकल्प (अनुसंधान डिजाइन) वर्णनात्मक है जिसमें भारत में विद्यालयी शिक्षा के प्रमुख संकेतकों का 2018 से 2025 तक का समयबद्ध विश्लेषण किया गया है। आँकड़ों के स्रोतों में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) 2023-24 एवं 2024-25 की रिपोर्ट, प्रथम शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2018, 2022 एवं 2024, भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आधिकारिक प्रकाशनों को सम्मिलित किया गया है। नमूना संबंधी विवरण के अनुसार, एएसईआर 2024 ने 26 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 605 जिलों के 17,997 गाँवों में कुल 6,49,491 बच्चों का सर्वेक्षण किया। यूडीआईएसई+ 2024-25 में देश के 14.72 लाख विद्यालयों के आँकड़े सम्मिलित हैं। यह देश का सबसे व्यापक विद्यालयी सूचना तंत्र है जो प्रत्येक विद्यालय के छात्र-स्तरीय आँकड़े एकत्रित करता है। शोध उपकरण के रूप में वर्णनात्मक सांख्यिकी, सारणीकरण और प्रवृत्ति विश्लेषण (ट्रेंड एनालिसिस) को अपनाया गया है। विश्लेषण की प्रविधि में नामांकन दर, ड्रॉपआउट दर, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात, विद्यालय अवसंरचना तथा अधिगम परिणामों की तुलनात्मक सारणियाँ तैयार की गई हैं। डेटा की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए केवल भारत सरकार और प्रतिष्ठित शोध संस्थाओं के आँकड़ों का ही उपयोग किया गया है।

6. परिणाम एवं सारणियाँ

सारणी 1: भारत में सकल नामांकन अनुपात — शिक्षा स्तरानुसार (2023-24 एवं 2024-25)

शिक्षा स्तर	2023-24	2024-25
प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5)	91.7%	90.6%
मध्य स्तर (कक्षा 6–8)	89.5%	90.3%
माध्यमिक स्तर (कक्षा 9–10)	66.5%	68.5%
उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11–12)	—	58.4%

स्रोत: UDISE+ 2023-24 एवं 2024-25, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

सारणी 1 से स्पष्ट होता है कि मध्य स्तर पर सकल नामांकन अनुपात सुधरकर 90.3% और माध्यमिक स्तर पर 68.5% हो गया है। तथापि उच्च माध्यमिक स्तर का GER मात्र 58.4% है, जो दर्शाता है कि कक्षा 11 और 12 तक पहुँचने से पहले ही बड़ी संख्या में

बच्चे शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाते हैं। यह स्थिति उच्च कक्षाओं में छात्रों को बनाए रखने की गंभीर चुनौती को रेखांकित करती है (शिक्षा मंत्रालय, 2025)।

सारणी 2: विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) — शिक्षा स्तरानुसार (2022-23 से 2024-25)

शिक्षा स्तर	2022-23	2023-24	2024-25
आधारभूत स्तर	11	10	10
प्रारंभिक स्तर	14	13	13
मध्य स्तर	18	18	17
माध्यमिक स्तर	23	21	21

स्रोत: UDISE+ 2024-25, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

सारणी 2 से स्पष्ट है कि विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात में लगातार सुधार हो रहा है। 2024-25 में आधारभूत स्तर पर 10, प्रारंभिक पर 13, मध्य पर 17 तथा माध्यमिक पर 21 विद्यार्थी प्रति शिक्षक हैं। ये सभी अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित 1:30 के मानक से काफी बेहतर हैं। शिक्षकों की कुल संख्या पहली बार एक करोड़ का आँकड़ा पार करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है (मेहता, 2025)।

सारणी 3: विद्यालय स्तर पर ड्रॉपआउट दर (2022-23 एवं 2024-25)

शिक्षा स्तर	2022-23	2024-25
प्रारंभिक स्तर	3.7%	2.3%
मध्य स्तर	5.2%	3.5%
माध्यमिक स्तर	10.9%	8.2%

स्रोत: UDISE+ 2024-25, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार; आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25

(नोट: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पुरानी वर्गीकरण पद्धति में 2023-24 में माध्यमिक ड्रॉपआउट दर 14.1% थी।)

सारणी 3 दर्शाती है कि 2024-25 में सभी स्तरों पर ड्रॉपआउट दर में सुधार हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर यह 3.7% से घटकर 2.3%, मध्य स्तर पर 5.2% से 3.5% तथा माध्यमिक स्तर पर 10.9% से 8.2% हो गई है। तथापि माध्यमिक स्तर पर 8.2% की दर यह संकेत देती है कि सैकड़ों-हजारों बच्चे अभी भी कक्षा 10 पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ देते हैं (शिक्षा मंत्रालय, 2025)।

सारणी 4: विद्यालय अवसंरचना: सुविधावार स्थिति (2023-24 एवं 2024-25)

सुविधा का प्रकार	2023-24	2024-25
विद्युत उपलब्धता	91.8%	93.6%
कंप्यूटर सुविधा	57.2%	64.7%
इंटरनेट सुविधा	53.9%	63.5%
पेयजल सुविधा	98.8%	99.3%
हस्तप्रक्षालन सुविधा	—	95.9%

स्रोत: UDISE+ 2023-24 एवं 2024-25, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

सारणी 4 दर्शाती है कि पेयजल (99.3%) और विद्युत (93.6%) जैसी बुनियादी सुविधाएँ लगभग सार्वभौमिक स्तर पर पहुँच रही हैं, जो एक सकारात्मक उपलब्धि है। तथापि कंप्यूटर (64.7%) और इंटरनेट (63.5%) की सुविधाएँ अभी भी 35% से अधिक

विद्यालयों तक नहीं पहुँची हैं। यह डिजिटल विभाजन ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है (शिक्षा मंत्रालय, 2025)।

सारणी 5: पठन अधिगम परिणाम: कक्षा 3, 5 एवं 8 (ग्रामीण भारत) ASER 2018, 2022 एवं 2024

कक्षा	पठन स्तर	2018	2022	2024
कक्षा 3	कक्षा-2 स्तर का पाठ पढ़ पाने वाले	20.9%	16.3%	23.4%
कक्षा 5	कक्षा-2 स्तर का पाठ पढ़ पाने वाले	44.2%	42.8%	48.8%
कक्षा 8	अपनी कक्षा का पाठ पढ़ पाने वाले	—	—	58.5%

स्रोत: ASER 2018, 2022 एवं 2024, एएसईआर केंद्र, प्रथम शिक्षा फाउंडेशन

सारणी 5 पठन कौशल की वास्तविकता उजागर करती है। 2024 में कक्षा 3 के केवल 23.4% और कक्षा 5 के 48.8% बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाते हैं। 2022 की तुलना में सुधार हुआ है, किंतु कक्षा 8 के भी 41.5% बच्चे अपनी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ सकते। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 के बच्चों की पठन क्षमता 38.5% (2022) से बढ़कर 44.8% (2024) हो गई है (एएसईआर केंद्र, 2024)।

सारणी 6: गणितीय अधिगम परिणाम: कक्षा 3, 5 एवं 8 (ग्रामीण भारत) ASER 2018, 2022 एवं 2024

कक्षा	गणितीय कौशल	2018	2022	2024
कक्षा 3	घटाव कर पाने वाले	28.2%	25.9%	33.7%
कक्षा 5	भाग कर पाने वाले	27.9%	25.6%	30.7%
कक्षा 8	भाग कर पाने वाले	44.1%	44.7%	45.8%

स्रोत: ASER 2018, 2022 एवं 2024, एएसईआर केंद्र, प्रथम शिक्षा फाउंडेशन

सारणी 6 गणितीय कौशल में एक उत्साहवर्धक सुधार दर्शाती है। 2024 में कक्षा 3 के 33.7% बच्चे घटाव कर पाते हैं, जो 2022 के 25.9% से काफी अधिक है। यह सुधार मुख्यतः सरकारी विद्यालयों में हुआ है, जहाँ 2022 से 2024 के बीच घटाव करने वाले बच्चों की संख्या में 36.6% की वृद्धि दर्ज की गई। कक्षा 8 में भाग करने वाले बच्चों का आँकड़ा धीरे-धीरे बढ़कर 45.8% हो गया है (वाधवा, 2025)।

7. विवेचन

प्रस्तुत शोध के परिणाम दोनों परिकल्पनाओं की पुष्टि करते हैं और भारत में आरटीई अधिनियम की उपलब्धियों एवं सीमाओं की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

- **नामांकन और अधिगम का विरोधाभास:** पहली परिकल्पना के अनुरूप यह स्पष्ट होता है कि आरटीई अधिनियम ने विद्यालय नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, किंतु अधिगम परिणामों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। शाह एवं स्टाइनबर्ग (2019) के निष्कर्षों से यह प्रमाणित होता है कि नामांकन बढ़ने के साथ-साथ परीक्षा परिणाम 2010 के बाद गिरे। कक्षा 8 के 41.5% बच्चे आज भी अपनी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ पाते (एएसईआर केंद्र, 2024) और कक्षा 5 के केवल 30.7% बच्चे भाग के सवाल हल कर सकते हैं। यह "पहुँच में वृद्धि, किंतु गुणवत्ता में कमी" की विरोधाभासी प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है जो इस अधिनियम की सबसे बड़ी सीमा है।
- **ड्रॉपआउट दर में सुधार और शेष चुनौतियाँ:** ड्रॉपआउट दर में सुधार निःसंदेह एक सकारात्मक संकेत है। प्रारंभिक स्तर पर यह दर 3.7% से घटकर 2.3% हो गई है। परंतु माध्यमिक स्तर पर 8.2% ड्रॉपआउट दर बताती है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में आर्थिक कारणों, बाल श्रम और पर्याप्त अवसंरचना के अभाव में लाखों बच्चे माध्यमिक

शिक्षा पूरी नहीं कर पाते (मेहता, 2025)। कुमार एवं अन्य (2019) ने यह भी दर्शाया है कि आरटीई के बाद भी वंचित सामाजिक-आर्थिक समूहों में शैक्षिक बहिष्करण बना हुआ है।

- **सरकारी बनाम निजी विद्यालयों में गुणवत्ता का अंतर:** दूसरी परिकल्पना की पुष्टि यह है कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता अभी भी निजी विद्यालयों से पीछे है। मुरलीधरन एवं सुंदरराजन (2015) ने यह दिखाया है कि निजी विद्यालयों में अध्यापन गुणवत्ता बेहतर रहती है। एएसईआर 2024 के अनुसार ग्रामीण भारत में 66.8% बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जो 2022 में 72.9% था — यह आँकड़ा निजी विद्यालयों की ओर बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाता है (वाधवा, 2025)। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि अभिभावक सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं।
- **डिजिटल विभाजन की चुनौती:** विद्यालय अवसंरचना में सुधार के बावजूद 36.5% विद्यालयों में अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इस्लाम (2022) और झा एवं पार्वती (2010) ने भी यह बताया है कि डिजिटल सुविधाओं का अभाव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक बड़ी बाधा है। एएसईआर 2024 के अनुसार ग्रामीण किशोरों के 90% से अधिक के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है, परंतु लड़कियों (26.9%) की तुलना में लड़कों (36.2%) में स्मार्टफोन स्वामित्व अधिक है (एएसईआर केंद्र, 2024), जो लैंगिक डिजिटल असमानता को उजागर करता है।
- **एनईपी 2020 और आरटीई का समन्वय:** एएसईआर 2024 में पठन और गणितीय कौशल में जो सुधार देखा गया, वह मुख्यतः एनईपी 2020 के तहत "निपुण भारत" कार्यक्रम और मूलभूत साक्षरता-संख्या-ज्ञान पर केंद्रित नीतिगत प्रयासों का परिणाम है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। विश्वजीत एवं शर्मा (2023) के अनुसार, विद्यालय प्रबंध समितियों (एसएमसी) और पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है। राव (2019) के शोध से यह स्पष्ट होता है कि आरटीई की 25% आरक्षण नीति सामाजिक एकीकरण में सहायक है, भले ही शैक्षणिक उपलब्धि पर इसका प्रभाव सीमित रहा हो।

समग्र रूप से, आरटीई अधिनियम ने भारत में प्रारंभिक शिक्षा की पहुँच बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने की दिशा में नीतिगत हस्तक्षेप अत्यावश्यक है (किंग्डन, 2007)।

8. निष्कर्ष

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने भारत में प्रारंभिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में निःसंदेह ऐतिहासिक योगदान दिया है। नामांकन में वृद्धि, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात में सुधार और ड्रॉपआउट दर में कमी इस अधिनियम की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। तथापि, अधिगम परिणामों की दृष्टि से चित्र अभी भी चिंताजनक है कक्षा 5 के 51.2% बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप पाठ नहीं पढ़ पाते। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, शिक्षक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण और वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दिशाओं को आरटीई के साथ प्रभावी ढंग से समन्वित करके ही भारत में वास्तव में गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा की संकल्पना को साकार किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

[1]. अग्रवाल, पी. (2025). *शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का जाति-आधारित नामांकन प्रतिरूपों पर प्रभाव.* एडवर्किंगपेपर क्रमांक 25-1310. प्राप्त किया गया: https://edworkingpapers.com/sites/default/files/ai25-1310.pdf

[2]. एएसईआर केंद्र. (2018). *वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2018.* प्रथम शिक्षा फाउंडेशन. प्राप्त किया गया: https://asercentre.org/aser-2018/

[3]. एएसईआर केंद्र. (2022). *वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2022*. प्रथम शिक्षा फाउंडेशन. प्राप्त किया गया: https://asercentre.org/aser-2022/

[4]. एएसईआर केंद्र. (2024). *वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024*. प्रथम शिक्षा फाउंडेशन. प्राप्त किया गया: https://asercentre.org/wp-content/uploads/2022/12/ASER-2024-National-findings.pdf

[5]. द्रेज़, जे., एवं किंग्डन, जी. जी. (2001). ग्रामीण भारत में विद्यालय भागीदारी. *विकास अर्थशास्त्र की समीक्षा, 5*(1), 1–24. https://doi.org/10.1111/1467-9361.00106

[6]. इस्लाम, एम. एन. (2022). *भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 — एक दशक पश्चात्: उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं अपूर्ण वादों की पड़ताल*. रिसर्चगेट. प्राप्त किया गया: https://www.researchgate.net/publication/354382722

[7]. झा, पी., एवं पार्वती, पी. (2010). शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009: महत्त्वपूर्ण कमियाँ एवं चुनौतियाँ. *आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, 45*(13), 20–23. प्राप्त किया गया: https://www.epw.in/journal/2010/13/special-articles/right-education-act-2009.html

[8]. जुनेजा, एन. (2015). निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए संवैधानिक आदेश: 'संविधान निर्माताओं' के आशय पर नया प्रकाश. *समकालीन शिक्षा संवाद, 12*(2), 208–237. https://doi.org/10.1177/0973184915581919

[9]. किंग्डन, जी. जी. (2007). भारत में विद्यालयी शिक्षा की प्रगति. *ऑक्सफोर्ड रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, 23*(2), 168–195. https://doi.org/10.1093/oxrep/grm015

[10]. कुमार, ए., शुक्ला, एस. के., पानमेई, एम., एवं नारायण, वी. (2019). शिक्षा का अधिकार अधिनियम: सार्वभौमीकरण अथवा सुदृढ़ होता बहिष्करण? *सेज जर्नल्स*. https://doi.org/10.1177/2394481119849272

[11]. मेहता, ए. सी. (2025). *यूडीआईएसई+ 2024-25 आँकड़ों का विश्लेषण*. एजुकेशन फॉर ऑल इन इंडिया. प्राप्त किया गया: https://educationforallinindia.com/analysis-of-udise-2024-25-data-by-prof-arun-c-mehta/

[12]. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग. प्राप्त किया गया: https://www.education.gov.in/nep/about-nep

[13]. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. (2024). *यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) 2023-24*. विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग. प्राप्त किया गया: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/udise_report_nep_23_24.pdf

[14]. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. (2025). *यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) 2024-25* [प्रेस विज्ञप्ति]. प्रेस सूचना ब्यूरो. प्राप्त किया गया: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2161543

[15]. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2025). *आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: विद्यालयी शिक्षा का अवलोकन*. प्रेस सूचना ब्यूरो. प्राप्त किया गया: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2097864

[16]. मुरलीधरन, के., एवं सुंदरराजन, वी. (2015). विद्यालय चयन का समग्र प्रभाव: भारत में दो-चरणीय प्रयोग से साक्ष्य. *त्रैमासिक अर्थशास्त्र पत्रिका, 130*(3), 1011–1066. https://doi.org/10.1093/qje/qjv013

[17]. राव, जी. (2019). परिचितता से तिरस्कार नहीं उत्पन्न होता: दिल्ली के विद्यालयों में उदारता, भेदभाव और विविधता. *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, 109*(3), 774–809. https://doi.org/10.1257/aer.20180044

[18]. शाह, एम., एवं स्टाइनबर्ग, बी. (2019). शिक्षा का अधिकार अधिनियम: नामांकन, परीक्षा परिणाम और विद्यालय गुणवत्ता में प्रवृत्तियाँ. *एईए पेपर्स एंड प्रोसीडिंग्स*, *109*, 232–238. https://doi.org/10.1257/pandp.20191060

[19]. विश्वजीत, एवं शर्मा, एन. (2023). ग्रामीण भारत में वंचित समुदायों को सशक्त बनाने में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की भूमिका: एक क्षेत्रीय विश्लेषण. *शोधकोश: दृश्य एवं प्रदर्शन कला पत्रिका*, *4*(2), 2377–2389. प्राप्त किया गया: https://www.researchgate.net/publication/388166646

[20]. वाधवा, डब्ल्यू. (2025). एएसईआर 2024: महामारी के पश्चात् पुनः स्थापना से कहीं अधिक. *आइडियाज फॉर इंडिया*. प्राप्त किया गया: https://www.ideasforindia.in/topics/human-development/aser-2024-more-than-a-post-pandemic-recovery-in-learning

Cite this Article:

प्रभात कुमार रवि. (2026). शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता का अध्ययन. International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology (IJMRAST), 4(3), 103–110.

Journal URL: *https://ijmrast.com/* ***DOI:*** *https://doi.org/10.61778/ijmrast.v4i3.253*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License.

© The Author(s) 2026. IJMRAST Published by Surya Multidisciplinary Publication.